प्रेस नोट **दिनांक 19/04/2026**

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 35262 /- (पैतीस हजार दो सौ बासठ) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 35262 /- (पैतीस हजार दो सौ बासठ) रुपये पीड़ित अनिल कुमार राय शर्मा पुत्र स्व0 बृन्दा राय शर्मा निवासी ग्राम जहनियापुर थाना कोपागंज जनपद मऊ की कुल 35262 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

पाक्सो एक्ट में वाछिंत बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहै अभियान के क्रम में अपर पलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 19.04.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भातकोड़ तिराहे से मु0अ0स0 117/25 धारा 65(1), 351(3), बीएनएस व ¾(2) पाक्सों एक्ट संबंधित बाल अपचारी शिवम सिंह पुत्र सचिदान्द सिंह निवासी अल्लीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बाल अपचारी का विवरण-

1. शिवम सिंह पुत्र सचिदान्द सिंह निवासी अल्लीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 117/25 धारा 65(1), 351(3), बीएनएस व ¾(2) पाक्सों एक्ट

02 गुमशुदा लड़की बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में गुमशुदा व्यक्तियों के बरामदगी की कार्यवाही के क्रम में, अपर पुलिस श्री अनुप कुमार, श्रीमान क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक

प्रमेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दिनांक 8/4/2026 को श्री कल्लन खान पुत्र शेर खान निवासी अमिला पोस्ट अमिला टेडीगली थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा खुद के पुत्री गुलिस्ता परवीन (उम्र 20 वर्ष) निवासी अमिला व उनकी परिचित दूसरी लडकी रवीना (उम्र 19 वर्ष) के गुम हो जाने के सम्बन्ध में थाना घोसी पर गुमशुदगी दर्ज करने हेतु प्रा०पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर थाना पर गुमशुदगी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी। थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उक्त गुमशुदा की तलाश की गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18/04/2026 को उक्त दोनो लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। बरामदगी के उपरान्त आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर गुमशुदा को उसके परिजनों को आज सुपुर्द कर दिया गया।

02 वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहै अभियान के क्रम में अपर पलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर फातिमा तिराहे के पास से मु0अ0स0 31/2026 धारा 3(5), 110, 117(2), 127(2), 352, 351(2) बीएनएस में वाछित अभियुक्त 1. नागेन्द्र कुमार उर्फ नरेन्द्र कुमार पुत्र बगेदू राम निवासी इमलिया फातिमा अस्पताल थाना सरायलखन्सी 2. अलोक गुप्ता पुत्र रामलाल शाह निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवालीनगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. नागेन्द्र कुमार उर्फ नरेन्द्र कुमार पुत्र बगेदू राम निवासी इमलिया फातिमा अस्पताल थाना सरायलखन्सी
2. अलोक गुप्ता पुत्र रामलाल शाह निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवालीनगर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 31/2026 धारा 3(5), 110, 117(2), 127(2), 352, 351(2) बीएनएस